भारत सरकार , रक्षा मंत्रालय GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
आयुध निर्माणी बोर्ड ORDNANCE FACTORY BOARD
गोला बारूद निर्माणी , खड़की, पुणे – 411003 AMMUNITION FACTORY , KHADKI, PUNE - 411 003

## पूर्ण कालिक आधार पर हाइअर डॉक्टरों के लिए तत्काल साक्षात्कार

## WALK-IN INTERVIEW FOR HIRING MEDICAL PRACTITIONER ON FULL TIME BASIS

एम्युनिशन फैक्टरी खड़की अपने 125 बैड बाले अस्पताल के लिए ठेके के आधार पर पूर्ण कालिक आधार पर 02 एमबीबीएस डॉक्टर को हाइअर करने का प्रस्ताव रखती है । आवश्यक अर्हता प्राप्त सेवानिवृत्त डॉक्टर एवं महिला डॉक्टर भी पात्र होंगे बशर्तें वे मेडिकल फिट हों । सेवानिवृत्त डाक्टरों को तभी हायर किया जाएगा यदि उनकी आयु 65 वर्ष से कम है, मेडिकली फिट हैं तथा ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (डीएमओ) की 24 घंटे की ड्यूटी सहित सभी ड्यूटी को करने के इच्छुक हैं । उन्हें कांट्रेक्ट में रखने से पहले (चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी को लिखित रूप में दिए गए वचन सहित) उक्त सभी बातों को निर्धारित/ सत्यापित किया जाएगा । Ammunition Factory, Khadki proposes to hire 02 number of MBBS Doctor on full time on contract basis for its 125 bedded hospital. Retired Doctors and lady Doctors with necessary qualifications are also eligible subject to medical fitness. Retired Doctors will be hired only if they are below the age of 65 years , are medically fit & willing to perform all duties including 24 hours Duty Medical Officer (DMO) duties and the same should be assessed /verified (including written undertaking to the MO I/C ) before taking them on Contract.

| | | |
|---|---|---|
| शैक्षिक योग्यता<br>QUALIFICATION | 1. एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज आफ इंडिया से प्राप्त एमबीबीएस डिग्री<br>2. भारत के मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकरण<br>1. MBBS DEGREE FROM MCI RECOGNISED MEDICAL COLLEGE OF INDIA.<br>2. REGISTRATION WITH MEDICAL COUNCIL OF INDIA. | |
| साक्षात्कार का स्थान<br>PLACE OF INTERVIEW | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी का कार्यालय<br>आयुध निर्माणी अस्पताल , खड़की<br>पुणे -411003 | OFFICE OF CHIEF MEDICAL OFFICER, I/c<br>ORDNANCE FACTORY HOSPITAL, KHADKI<br>PUNE - 411 003 |
| साक्षात्कार की तारीख एवं समय<br>DATE & TIME OF INTERVIEW | Date : **18/03/2021** Time : **10:00 AM** | |
| साक्षात्कार के समय लाए जाने वाले दस्तावेज<br>DOCUMENTS TO BE BROUGHT TO THE INTERVIEW | मूल प्रति तथा जेराक्स का एक सेट<br>1. आयु प्रमाण के लिए मैट्रिक /10 कक्षा या समतुल्य प्रमाणपत्र<br>2. एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज आफ इंडिया से प्राप्त एमबीबीएस डिग्री<br>3. पंजीकरण प्रमाणपत्र<br>4. अनुभव प्रमाणपत्र<br>5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त 02 चरित्र प्रमाणपत्र<br>ORIGINALS AND ONE SET OF PHOTOCOPIES OF<br>1. MATRIC/10TH CLASS OR EQUIVALENT CERTIFICATE FOR AGE PROOF<br>2. MBBS DEGREE CERTIFICATE FROM MCI RECOGNISED MEDICAL COLLEGE OF INDIA.<br>3. REGISTRATION CERTIFICATE. 4. EXPERIENCE CERTIFICATE.<br>5. 02 CHARACTER CERTIFICATES FROM TWO GAZETTED OFFICERS. | |
| हाइअर की अवधि<br>DURATION OF HIRING | प्रत्येक सत्र में अधिकतम 6 माह तक के लिए स्पष्ट रिक्ति होने पर तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन होने पर दूसरे सत्र के लिए भी विचार किया जा सकता है । लेकिन 58 वर्ष से कम आयु के डॉक्टरों को 2 सत्र से अधिक के लिए हाइअर नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में कैलेंडर वर्ष में एक बार से अधिक हाइअर नहीं किया जाएगा । UPTO MAXIMUM OF SIX MONTHS PER TERM 2ND TERM MAY BE CONSIDERED AGAINST CLEAR VACANCY AND SATISFACTORY WORK. HOWEVER DOCTORS AGED BELOW 58 YEARS WILL NOT BE HIRED FOR MORE THAN 02 TERMS AND UNDER ANY CIRCUMSTANCE NOT MORE THAN ONCE IN A CALENDAR YEAR. | |
| पारिश्रमिक<br>REMUNERATION | मासिक पारिश्रमिक - रु . 75,000/-<br>अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक से की जाने वाली कटौती का दैनिक दर रु. 2500/-<br>MONTHLY REMUNERATION = Rs. 75,000/-<br>DAILY RATE OF REDUCTION FROM THE REMUNERATION FOR ABSENCE =Rs. 2500/- | |
| ड्यूटी<br>DUTIES | हाइअर किए गए डाक्टरों को ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (डीएमओ) की ड्यूटी सहित आयुध निर्माणी अस्पताल, खड़की में पूर्ण कालिक आधार पर कार्य करना होगा । THE HIRED DOCTOR WILL BE REQUIRED TO PERFORM FULL TIME WORK AT ORDNANCE FACTORY HOSPITAL, KHADKI . INCLUDING DUTY MEDICAL OFFICER (DMO) DUTIES. | |
| ठहरना<br>STAY | i. हाइअर किए गए डाक्टरों को ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (डीएमओ) (इमरजेंसी ) ड्यूटी के समय आयुध निर्माणी अस्पताल, खड़की में रुकना होगा ।<br>ii. आयुध निर्माणी इस्टेट में रहने के इच्छुक चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी नियमके अनुसार भुगतान के आधार अस्थाई आवास दिया जाएगा ।<br>(i) THE HIRED DOCTOR WILL BE REQUIRED TO STAY IN ORDNANCE FACTORY HOSPITAL, KHADKI DURING DUTY MEDICAL OFFICER (DMO) (EMERGENCY) DUTY.<br>(ii) SELECTED CANDIDATES DESIROUS TO STAY INSIDE THE ORDNANCE FACTORY ESTATE WILL BE PROVIDED TEMPORARY ACCOMMODATION ON PAYMENT AS PER GOVT RULE. | |

## पूर्ण कालिक आधार पर डॉक्टरों की सेवाएं (हाइअर करने के लिए) लेने के लिए सामान्य निबंधन एवं शर्तें

## General Terms and Conditions Hiring of Medical Practitioner on Full-Time Basis.

**1.** संविदा/करार की तारीख से 6 माह के लिए या उससे कम अवधि के लिए संविदा/ करार होगा। किसी भी परिस्थिति में हाइअर किए गए डाक्टरों की हाइअर की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। आ.नि.बोर्ड द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार हाइअर किए गए डाक्टर एवं चि.अधि.प्रभारी द्वारा संविदा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को एक कैलेंडर वर्ष में एक बार से अधिक हाइअर नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, सेवानिवृत्त डाक्टरों को आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता से पूर्व अनुमति प्राप्त करके उत्तरवर्ती समयावधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

The contract/agreement shall be entered into for 6 months or less from the date of entering into contract/agreement. Period of hiring is not extendable on any grounds. The contract should be signed between the hired professional and MO I/C as per terms and conditions laid down by OFB. A particular Individual should not be hired more than once in a calendar year. However, in case of retired Doctors subsequent terms will be allowed with prior sanction of Ordnance Factory Board.

2. निर्माणी के साथ संविदा में प्रवेश करनेवाले पूर्ण कालिक हाइअर किए गए डॉक्टर अपनी सेवा की निरंतरता या संविदा/करार के स्वत: विस्तार के लिए कोई दावा नहीं करेंगे।

The full-time Hired Medical Practitioner who enters into agreement with the factory will not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of contract/agreement.

3. करार की वैधता के दौरान हाइअर किए गए डॉक्टरों को अपने कैरियर की उन्नति या अन्य किसी कारणों से निर्माणी को 7 दिनों की नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकते हैं। निर्माणी को भी करार की वैधता के दौरान कभी भी बिना कोई कारण बताए 7 दिन की नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार रहेगा। यदि हाइअर किए गए डॉक्टर को या उनको अपनी ड्यूटी करने में मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम या असमर्थ पाए जाएं तो करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

During the validity of the agreement the Hired Medical Practitioner will be at liberty to terminate the agreement for betterment of his/her career or any other grounds by giving 7 days' notice to the Factory. The Factory can also terminate the agreement at any time during the tenure by giving 7 days' notice without assigning any reasons whatsoever. Agreement shall also be terminated, if the Hired Medical Practitioner is found to be mentally or physically incapacitated or incapable of discharging his/her duties.

4. न्यूनतम योग्यता के रूप में एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज आफ इंडिया से प्राप्त एमबीबीएस डिग्री होगी। उन्हें एक पंजीकृत डाक्टर होना चाहिए। संविदा/करार में प्रवेश करते समय डाक्टर को अपनी योग्यता के मूल प्रमाणपत्र एवं केन्द्र/ राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाणपत्र के साथ जन्म तिथि का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। हाइअर करने से पहले उनकी निर्माणी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । अगर हाइअर किए गए चिकित्सकों को निर्माणी परिसर के भीतर तैनात किया जाता है तो पीवीआर अनिवार्य होगा।

MBBS Degree from MCI recognized medical college of India is the basic qualifying requirement. He or she should be a registered Medical Practitioner. At the time of entering the Contract/agreement, Medical Practitioner shall produce original certificates of his/her qualification, medical registration certificate with the National/State Medical Council and proof of date of birth along with character certificates from two Gazetted Officers of the Central/State Government. The Hired Medical Practitioner shall undergo a medical examination at the Factory Hospital, before the contract is entered into, for his/her fitness to perform the work awarded to him/her. PVR is mandatory if the hired Medical Practitioner is to be posted inside the factory premises.

5. सामान्यत: रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती) के दिन छुट्टी होगी। यदि उनको इन छुट्टी के दिनों में बुलाया जाएगा तो उसके बदले में छुट्टी दी जाएगी।

Normally, Sundays and National Holidays (Republic Day, Independence Day & Gandhi Jayanti) shall be off. If they are called for work on these days they will be granted Off in lieu of that.

Contd…

6 . हाइअर किए गए डॉक्टर का मासिक वेतन एवं हाइअर किए गए डॉक्टर के ड्यूटी से अनुपस्थित होने पर उनके वेतन से अनुपातिक कटौती का दैनिक दर निम्नलिखित होगा:-

| हाइअर किए गए चिकित्सक का प्रकार | मासिक पारिश्रमिक | अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक से की जाने वाली कटौती का दैनिक दर |
|---|---|---|
| एमबीबीएस डॉक्टर | रु .75,000/- | रु .2500-/ |

The Monthly fee for Hired Medical Practitioner and the daily rate of proportionate reduction from the fee in the event the Hired Medical Practitioner absents himself/herself from duties are as follows :-

| Type of Hired Medical Practitioner | Monthly Remuneration | Daily rate of reduction from the remuneration for absence |
|---|---|---|
| MBBS Doctor | Rs. 75,000/- | Rs. 2500/- |

7. हाइअर किए गए डॉक्टर को किसी भी प्रकार का वाहन/परिवहन व्यवस्था नहीं दी जाएगी । हाइअर किए गए डॉक्टर आयुध निर्माणी अस्पताल में केवल आपातकाल में प्राथमिक चिकित्सा के सिवा किसी भी प्रकार की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए हकदार नहीं होंगे ।

The Hired Medical Practitioner will not be provided with any transport/ transport arrangement. The Hired Medical Practitioner will not be entitled for any free medical treatment at O.F. Hospitals except First Aid in case of Emergency.

8. हाइअर किए गए डॉक्टर वे सभी सामान्य कार्य करेंगे जो अन्य डाक्टर करते हैं । वे आपातकालीन/आपदा एवं दुर्घटना के मामलों में भी कार्य करेंगे ।

The Hired Medical Practitioner shall attend to all the normal tasks which any Medical Practitioner is conventionally doing. He/She will also attend emergencies/disasters and accidents.

9. वे सप्ताह में कम से कम एक दिन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (डीएमओ) की ड्यूटी करेंगे एवं वे डीएमओ की ड्यूटी के अगले दिन एम्युनिशन फैक्टरी, खड़की के आईओएफएचएस के नियमित एम.ओ के जैसे ही ऑफ पाएंगे ।

The Hired Medical Practitioner shall provide his/her services as Duty Medical Officer (DMO) minimum once in a week and he/she will get off the next day as done/availed by regular MO's of IOFHS at station.

10. हाइअर किए गए डॉक्टर अधिकतम 3 दिनों की अवधि के लिए अस्वस्थता प्रमाणपत्र दे सकते हैं जिस पर एक नियमित एम.ओ का प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है । सामान्यत: हाइअर किए गए डॉक्टर स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेंगे ।

The Hired Medical Practitioner can issue SICK/UNFIT certificates up to a maximum period of 03 days which should be countersigned by a regular Medical Officer. Hired Medical Practitioners will normally not issue FITNESS certificates.

11. हाइअर किए गए डॉक्टर को किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्ति नहीं होगी एवं पूर्व रोजगार चिकित्सा परीक्षा आदि जैसे कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे ।

The Hired Medical Practitioner will not have any financial powers and shall not perform any administrative work like pre-employment medical examination etc.

12. हाइअर किए गए डॉक्टर सामान्यत: किसी भी प्रकार की चिकित्सा सिफारिश नहीं करेंगे, यदि वे ऐसा करेंगे तो उस पर एम.ओ प्रभारी का अनुमोदन होना जरूरी है ।

The Hired Medical Practitioner shall not make any Medical Recommendations normally, if he/she does so it should be approved by Medical Officer In-charge.

13. हाइअर किए गए डॉक्टर मरीज़ों को अन्य अस्पतालों में नहीं भेजेंगे यदि वे ऐसे करेंगे तो उस पर एम.ओ प्रभारी का अनुमोदन होना जरूरी है ।

The Hired Medical Practitioner will not refer patients to other Hospitals, if he/she does so it should be approved by M.O. I/C.

Contd…

14. हाइअर किए गए डॉक्टर किसी भी वर्ग के स्टाफ के एपीएआर नहीं लिख सकते हैं।

The Hired Medical Practitioner cannot write the Annual Appraisal Report (APAR) of any category of staff.

15. महाप्रबंधक , गोला बारूद फैक्टरी, खड़की कोर्ट /कैट मामलों के किसी भी निदेश या आयुध निर्माणी बोर्ड / रक्षा मंत्रालय के निदेशों के अनुसार बिना किसी नोटिस या कोई कारण बताए बिना प्रक्रिय में संशोधन/बदलाव / प्रतिबंध / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। महाप्रबंधक /एएफके का निर्णय अंतिम होगा तथा इस मामले के विरूद्ध कोई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

The General Manager, Ammunition Factory Khadki reserves the right to modify/alter/restrict/cancel the process due to any directives of Court/CAT case or as per instructions from Ordnance Factory Board/Ministry of Defence without issuing any further notice or assigning any reason thereafter. The decision of GM/AFK will be final and no appeal will be entertained against this issue.

******